न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 56 / 2012 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2012 / 00022

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. लुम्बाराम पुत्र वेनारामजी 2. दरगाराम पुत्र रतनाजी जातिगण–पटेल,निवासी –कुलाथाना तह. रोहट, जिला –पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत कुलथाना पंचायत समिति रोहट जिला–पाली (राज.) 2. खीमाराम पुत्र दलारामजी जाति–पटेल, निवासी कुलथाना तहसील रोहट, जिला–पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खंगार राम पटेल

अप्रार्थी की ओर से श्री अशोक अरोड़ा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/7/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत कुलथाना जो मिसल संख्या 11 / 2011–12 दायर दिनांक 20.12.2011 के संकल्प संख्या 5 की अनुपालना में पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.9.2012 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर ग्राम पंचायत कुलथाना का पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

उपस्थित वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही अपनी बहस बताया तो प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित है कि ग्राम कुलथाना तहसील रोहट में प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 के पिता को ग्राम पंचायत कुलथाना द्वारा निलामी में भूखण्ड संख्या 8 दिनांक 26.5.1963 को कीमत रूपये 33 में पट्टा जारी किया किसकी पुस्त पर उक्त भूखण्ड का नक्शा मय पड़ोस एवं प्रत्येक भुजा का नाम दर्ज है जिसका क्षेत्रफल 825 वर्ग फिट दर्ज किया है तथा उस पर सरपंच, उप सरपंच व नक्शानवीस के हस्ताक्षर किए हुए है वेना एवं रतना की मृत्यु के बाद उक्त भूमी उनके वारिसान लुम्बाराम पुत्र वेना के 1 / 2 भाग तथा एवं दरगाराम, मांगीलाल, पूनमराम पुत्रगण रतना के हिस्से मे 1 / 2 भाग रहा उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने संयुक्त खर्चे पर एक कमरा (16 गुणा 20) का बनवाया तथा शेष भूखण्ड पर पक्की बाउंड्री बनवाई तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पास उपार्जन का साधन नहीं होने से उसे किराणा की दुकान चलाने हेतु अनुमति दे दी। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 से संयुक्त सम्पति के बंटवारे की बात की तो अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाब दिया कि वह जहां बैठा है वहीं रहेगा, यही उसका हिस्सा माना जावे। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध सिविल न्यायालय पाली में विभाजन का वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया तो अप्रार्थी संख्या 3 की और से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश किया एवं मांगीलाल ने उक्त [illegible] 28.8.2012 को [illegible] संख्या 2 को बेचाण कर दी है उसी बेचाणनामे के आधार पर [illegible] संख्या 2 ने उक्त भूमी का पट्टा प्राप्त कर लिया है। [illegible] पट्टा संख्या 47 की प्रति प्राप्त कर जब पट्टे बाबत जा[illegible] पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:02 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः.............2

जिला कलेक्टर, पाली

पट्टे मे वर्णित हदूदों के बीच की भूमी भूखण्ड संख्या 8 दिनांक 28.5.1963 को निलामी द्वारा ग्राम पंचायत कुलथाना ने 33 रूपये में विक्रय कर स्व. वेना जी व स्व. रतनाजी को पट्टा जारी कर दिया जाने से उक्त भूमी पंचायत की नहीं रही इस वजह से दुबारा पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया जो विधी सम्मत नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी किया गया पश्चातवृती पट्टा संख्या 47 पंचायत राज नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है मिसल 26.12.2011 को तैयार की एवं 28.8.2012 को भूखण्ड का बेचाण कर दिया इतने कम समय में सभी कार्यवाही की गई जो उचित प्रतित नही होती है। ग्राम पंचायत ने पड़ोस से कोई आपतियां नहीं ली न ही उनकी सुनवाई की एक माह के आपति इश्तिहार अवधी से पहले ही दिनांक 20.9.2012 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टा हेतु अप्रार्थी संख्या 2 ने आवेदन ही नहीं किया है ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है एवं सिविल न्यायालय में वाद दायर कराने पर उसमें प्रस्तुत जैर निगरानी पट्टा की प्रति प्राप्त कर यह निगरानी पेश की गई इस वजह से 20.9.2012 से 9.11.2012 तक की अवधी को अन्दर म्याद शुमार फरमावे एवं जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि यह प्रकरण पट्टे पर पट्टा जारी करने का नहीं है। यह निगरानी गलत पेश की गई है अप्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पट्टा प्राप्त करने हेतु पेश किया उसमें अंकित पड़ोस मेल नहीं खाते है जो 1963 का पट्टा संख्या 7 बताया जा रहा है उसके पूर्व में आम सड़के है तथा यह पट्टा आम सड़क से 50 फीट छोड़ कर जारी किया हुआ है। जो जोधपुर से जालोर जाने वाली डामर सड़क पर है जबकि जैर निगरानी पट्टा जोधपुर से जालोर सड़क से 85 फिट दूरी पर स्थित है। जैर निगरानी पट्टे सं. 47 की आराजी पट्टा अनुसार 20 गुणा 20 फिट ही है जबकि रोड से 85 फुट होने से यह भूमि निगरानी में वर्णित भूमी नहीं है न ही दोनों पट्टा आराजी के पड़ोस ही मेल खा रहे है दोनों के पड़ोस में भिन्नता है। उक्त प्लॉट वेना, रतना पुत्रगण नत्था का कभी नहीं रहा। उक्त प्लॉट अप्रार्थी संख्या 3 मांगीलाल से अप्रार्थी संख्या 2 खीमाराम द्वारा दिनांक 28.8.2012 को क्रय सुदा है जिस पर क्रेता खीमाराम की दुकान निर्मित है तथा शेष भाग पर बाउण्ड्री बनी हुई है ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त प्लॉट अप्रार्थी खीमाराम का पुश्तैनी है पट्टा 400 वर्गफुट का ही पंचायत द्वारा बनाया गया है तथा उतना ही खीमाराम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल दायर कर नक्शा नवीस ग्राम सेवक से नक्शा बनवाया गया तथा तीन पंचों की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण भी करवाया जिनकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट भी मिसल के संलग्न है। तथा दिनांक 20.9.2012 को प्रस्ताव लिया जाकर पट्टा बाद शुल्क जमा कराने 200/- रूपये के जारी किया गया है इस बाबत प्रपत्र 22 में आबादी भूमी के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपतियां आमंत्रित करने की सूचना दिनांक 12.1.2012 को निकाली तथा आपतिया प्राप्त नहीं होने पर पट्टा जारी किया गया है मिसल में इस बाबत दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी लिये हुए है जो पड़ोसी है इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................3

पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली तथा पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के सम्बन्ध में निम्न दो विचारणीय बिन्दु है :–

1. क्या उक्त पट्टा पूर्व स्वीकृत पट्टे पर जारी किया गया है या नहीं।
2. क्या जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है।

पट्टा संख्या 7 जो पूर्व में सन् 1963 में जारी सुदा है वह जालोर से जोधपुर सड़क से 50 फीट छोड़कर जारी किया हुआ है। तथा पट्टा संख्या 47 जो सन् 2012 में जारी किया वह जो जालोर से जोधपुर रोड़ से 85 फिट छोड़कर जारी किया हुआ है दोनों पट्टा आराजी के पड़ोस भिन्न–भिन्न है। इस प्रकार ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे के आराजी का ही जारी किया गया है अथवा पट्टे पर पट्टा जारी किया हुआ है जहां तक बेचाणनामे का प्रश्न है यह सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। पट्टा जारी करने से पूर्व मिसल संख्या 11/2011–12 कायम की गई। प्रार्थी पट्टाधारी श्री खीमाराम ने प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा बाद मिसल कायम के आराजी का नक्शा बनाया गया पड़ोस अंकित किए गए तथा तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन कर उनको मौका रिपोर्ट ली जाकर आपति इश्तिहार जारी किया गया तथा दो गवाहों के बयान लिए गए तथा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 18.9.2012 को पंचायत कोरम में पारित कर पट्टाधारी से पट्टे की राशि रूपये 200/–रूपये वसूली कर पट्टा जारी किया गया है इस प्रकार सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत कुलथाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.9.2012 जो प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 18.9.2012 तथा मिसल संख्या 11/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2012 व उसकी पालना में जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कुलथाना को ग्राम पंचायत के रेकर्ड के साथ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/7/24 को मरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:02 IST
Reason: SelfAttested